संख्या-01/2018/1023/22-4-17-48(31)/16

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 10 जनवरी, 2018

विषय- डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण व्यवस्था को संचालित करने के लिए कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से विभिन्न कारागारों में भ्रमण एवं अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40257/बजट-1, दिनांक 09.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण व्यवस्था को संचालित करने के लिए कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न कारागारों में भ्रमण एवं अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 1,00,000/-(रूपया एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.18 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 2056-जेलें-800-अन्य व्यय-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मानक मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1432/दस-2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01/2018/1023(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।